न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-स0स0-06/रा0आ0नि0-06/2018-...379/आ0नि0को0 दिनांक-...05...अप्रैल'19

प्रेषक,

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी, कटिहार।

विषय :- आगामी लोकसभा आम चुनाव-2019 में दिव्यांगजनों को सुगम एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निदेशानुरूप न्यूनतम व अन्य सम्बद्ध सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में।

संदर्भ :- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-464/INST/PwD/2016/EPS दि0-07.09.2016 एवं निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-एस1-1-5/2018-36 दि0-18.02.2019 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-358/आ0नि0को0 दि0-29.03.2019

महाशय,

निदेशानुसार इस कार्यालय का पत्रांक-358/आ0नि0को0 दि0-29.03.2019 का संदर्भ लेने की कृपा करें, जिसके अन्तर्गत आगामी लोकसभा आम चुनाव-2019 में दिव्यांगजनों को सुगम एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निदेशानुरूप न्यूनतम व अन्य सम्बद्ध सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था। उक्त विषय एवं प्रसंग के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा की गई व्यवस्थाओं के आकलन एवं सम्बन्धित पहलुओं की समीक्षा हेतु निम्न विवरणी अनुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :-

राज्य आयुक्त नि:शक्तता की कार्यक्रम विवरणी

क्र0 सं0	तिथि	आगमन/प्रस्थान/ समय सारणी	आगमन/ उपस्थिति	कार्यक्रम	अभयुक्ति
1.	12/04/2019 (शुक्रवार)	12:00 AM बजे बाँका जिला से कटिहार के लिए प्रस्थान।	-------	-------	-------
2.	12/04/2019 (शुक्रवार)	04:00 PM बजे से 05:30 PM बजे तक	कटिहार	जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों को सुगम एवं समावेशी मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में सहज भागीदारी सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में)	कटिहार परिसदन में रात्रि विश्राम
		05:30 PM बजे से 06:00 PM बजे तक		प्रेस वार्ता सरल, सुगम एवं समावेशी मतदान के सम्बन्ध में।	
3.	13/04/2019 (शनिवार)	06:00 AM बजे कटिहार से पटना के लिए वापसी।	--------	-------	-------

कृ0पृ0उ0............

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-800015, दूरभाष : 0612-2215041, मोबाईल : 9431015499,
E-mail-scdisability2008@gmail.com, Website-scdisabilities.org

निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-एस1-1-5/2018-36 दि0-18.02.2019 के अन्तर्गत सुगम एवं समावेशी निर्वाचन के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तर पर पुनर्गठित **The State Steering Committee on Accessible Elections (SSCAE)** कमिटी में राज्य आयुक्त नि:शक्तता को सदस्य सचिव का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम-28(1) के अनुसार राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं।

उक्त क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम विवरणी अनुरूप समीक्षा बैठक हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय। साथ ही अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में सहयोग हेतु राज्य आयुक्त नि:शक्तता के लिए इनके स्थानीय आवासन एवं सुरक्षा (स्कॉट एवं अंगरक्षक) के सम्बन्ध में नयाचार अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-379/आ० नि० को० दिनांक-05 अप्रैल'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, 07, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, पटना-15, को में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-379/आ० नि० को० दिनांक-05 अप्रैल'19

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि को राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार के लिए स्कॉट, अंगरक्षक एवं (होम) सुरक्षा अपने स्तर से व्यवस्था करने की कृपा की जाए।

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-379/आ० नि० को० दिनांक-05 अप्रैल'19

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, कटिहार को निर्देशित किया जाता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर दिनांक-12.04.2019 को अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-06/2018-379/आ० नि० को० दिनांक-05 अप्रैल'19

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त-सह-PwDs ऑवजर्बर, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 -379/आ० नि० को० दिनांक-05 अप्रैल'19

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।